(क) क्या यह सच है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोई कार्यकलाप आरंभ करने से पहले बैंकों में रखी गई इस योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि को खर्च करने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ स्थानों पर उक्त ब्याज-राशि संबंधित सांसदों की सिफारिश पर खर्च की जा रही है, परन्तु ऐसे निदेशों के अभाव में इसे अन्य स्थानों पर उपायुक्तों/जिलाधीशों द्वारा खर्च नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ब्याज की इस राशि को संबंधित सांसदों की सिफारिश पर विकास कार्यों पर खर्च करने के संबंध में स्पष्ट निदेश जारी करने का विचार रखती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) सभी जिला कलेक्टरों को निदेश दिया गया है कि चाहे कोई भी प्रयोजन हो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें। तथापि, ऐसे कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें ब्याज की राशि का उपयोग किया गया है। संबद्ध जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि में से खर्च की हुई राशि लौटाकर उसकी अनुपूर्ति करें। ब्याज की राशि के उपयोग से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

विलम्ब से चल रही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

268. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1996 के अंत में देश में निर्माणधीन 100 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं में से उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जो अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रही है, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी वजह से प्रत्येक मंत्रालय पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ङ) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार दिनांक 31-12-1996 तक 100 करोड़ रुपए तथा उनसे अधिक की लागत वाली 199 परियोजनाएं थीं। उन 199 परियोजनाओं में से 122 परियोजनाएं अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रहीं थी। विलंबित परियोजनाओं के कारण लागत में 39885 करोड़ (उनतालिस हजार आठ सौ पचासी करोड़) रुपए की वृद्धि हुई। निमार्णाधीन परियोजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा एवं लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 8]**

असंतुलित विकास की समस्या

269. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी असंतुलित विकास की स्थिति विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले असंतुलित विकास की समस्या तथा उसके कारणों के संबंध में सूचना एकत्र की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना में असंतुलित विकास को रोकने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाने का विचार रखती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, फिर भी केन्द्र सरकार संशोधित गाडगिल फार्मूले, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा वित्त आयोग द्वारा गैर योजना संसाधनों के हस्तान्तरण के अन्तर्गत संसाधनों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों की मदद करती है;

क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना योजना प्रक्रिया का एक अनिवार्य उद्देश्य है, फिर भी इन उद्देश्यों के क्रियान्वयन में क्षेत्र की कुछ अन्तर्निहित, ऐतिहासिक एवं